न्यायालय अति जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस
पंचायत निगरानी :: 43/2019 ::
आर.सी.एम.एस. नं. :: 2019/00107

प्रार्थी :— बनाम अप्रार्थीगण :—

श्री दिनेश कुमार पुत्र सुखलाल
सैणचा, जाति सीरवी, निवासी
पिपलिया कलां, तहसील रायपुर
जिला पाली

1. कमला देवी पत्नी मनोहरलाल
2. अनिल कुमार पुत्र मनोहरलाल
3. अनिता पुत्री मनोहरलाल
4. कविता पुत्री मनोहरलाल जातिगण सीरवी निवासीगण पिपलिया कलां तहसील रायपुर जिला पाली राजस्थान
5. सरपंच ग्राम पंचायत पिपलिया कलां, तहसील रायपुर जिला पाली
6. सचिव, ग्राम पंचायत पिपलिया कलां, तहसील रायपुर जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :—
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री घेवर राम गहलोत
अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 16/01/2020

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, पिपलिया कलां की मिसल संख्या 18/1995—96, प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 02.11.1996 तथा इसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 05 दिनांक 04.01.1997 जो अप्रार्थी संख्या 01 के पति व अप्रार्थी संख्या 02 से 04 के पिता के हक में जारी किया गया, को निरस्त कराये जाने हेतु पेश की गई है। प्रार्थी की निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस व ग्राम पंचायत से रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी के पिता का रहवासी मकान गांव पिपलिया कलां की आबादी क्षेत्र में आया हुआ है, जो उनका रहवासी पुश्तैनी मकान है। प्रार्थी के पिता के पांच पुत्र व दो पुत्रियां है, उक्त रहवासी मकान पर उन सबका समान हक व हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या 1 के पति व अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के पिता ने उक्त मकान का ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए अपने नाम पट्टा जारी करवा दिया। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करने बाबत मिसल संख्या 18 दिनांक 17.10.1996 को दर्ज कि गई तथा प्रथम कार्यवाही दिनांक 25.08.1996 होना बताया है, जो की आपस में विरोधाभाषी है। दिनांक 09.09.1996 को नियम 258 के तहत पट्टा बनाने का स्थाई निर्णय पंचों की मौका रिपोर्ट अनुसार पट्टा बनाये जाने की आदेशिकाओं में अंकित किया गया तथा नियम 260 के तहत आपत्ति नोटिस एक माह का जारी करने का आदेश पारित किया गया है। दोनों प्रक्रियाएं साथ में नहीं हो सकती है। निरीक्षण प्रपत्र में कहीं भी दिनांक का अंकन नहीं है, न ही माप—चौक लिखा हुआ है तथा प्रपत्र में भी भूखण्ड को पुश्तैनी भूखण्ड होना लिखा हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के पति/पिता के नाम जारी पट्टा पुश्तैनी भूखण्ड का जारी किया गया है। जैर निगरानी भूखण्ड का पट्टा बनाने में ग्राम पचांयत द्वारा पंचायती राज के नियमों की पालना नहीं कर, सम्पूर्ण प्रकिया एक ही जगह पर तथा एक ही व्यक्ति द्वारा सम्पन्न कर दी गई है। प्रार्थी को जैर निगरानी पट्टे के संबंध में हाल ही में दिनांक 05.06.2019 को हुई, जब उसने वादस्थ जायदाद

अति. जिला कलेक्टर, पाली

का विधिक बंटवाड़ा करवाने हेतु परिवार जनों से कहा तो पता चला। जिससे प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी विक्रय विलेख को निरस्त करवाने बाबत निगरानी याचिका न्यायालय में पेश की है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पति व 2 से 4 के पिता के हक में जारी पट्टा संख्या 5 को निरस्त फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने वक्त बहस कथन किया कि सन् 1995 में उनके पिता श्री सुखलाल सैणचा जीवित थे, तब उन्होंने अपने सभी पुत्रों को उनके हिस्से अनुसार सम्पति का मौखिक बंटवाड़ा कर दिया, जिसकी ताईद में अधिवक्ता अप्रार्थीगण इनके परिवार के चार सदस्य के शपथ पत्र पेश किए है। उक्त बंटवाड़े के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के पति व अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के पिता ने अपने हिस्से में आए भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पेश किया, जिस पर ग्राम पंचायत ने पत्रावली कायम करते हुए, भुखण्ड का मौका मुआयना का आदेश पारित किया गया, जिस पर पंचो द्वारा निरीक्षण किया गया तथा इसके पश्चात एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। उसके समयसीमा गुजरने तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तथा इस संबंध में पंचातय द्वारा दो स्वतंत्र गवाहो के बयान लिए गए। इसके उपरान्त अप्रार्थीगण के पति/पिता के पक्ष में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर राज.प.रा. नियम 266 (क) के अनुसार आपसी बातचीत से एवं प्रति फुट 30 पैसे से कुल 2374 वर्गफुट के भूखण्ड के 712/– रूपये लिए जाकर पट्टा संख्या 5 दिनांक 04.01.1997 जारी किया गया। जिसके पश्चात से अप्रार्थीगण के पति/पिता ने जैर निगरानी भूखण्ड पर मकान का निर्माण कराया तथा उसमें वह सपरिवार रहवास कर रहा है, जिसकी जानकारी प्रार्थी को प्रारम्भ से ही थी, प्रार्थी, अप्रार्थी का भाई है तथा वह उससे रंजीश रखता है। मात्र इसी कारण से उसने यह निगरानी प्रार्थना पत्र न्यायालय में 22 वर्ष पश्चात पेश की है, जो स्पष्टतया म्याद बाहर है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी की निगरानी याचिका खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पति/पिता आपस में भाई है तथा अधिवक्ता अप्रार्थीगण के अनुसार उनके पति/पिता स्व. मनोहरलाल के पिता श्री सुखलाल सैणचा द्वारा अपने जीवनकाल में ही सभी भाईयों में सम्पति का बंटवाडा कर दिया गया था, जिसके अनुसार उनके हिस्से में जैर निगरानी भूखण्ड आया, इस तथ्य की ताईद में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने चार रिश्तेदारों यथा जोगाराम, कुन्नाराम, पन्नालाल व अमरचंद के शपथ पत्र पेश किए है, जिसमें स्पष्ट अंकन है कि सभी भाईयो में उनके पिता द्वारा वर्ष 1995 में बराबर–बराबर बंटवाडा कर दिया गया था तथा तब से ही मनोहरलाल उसके हिस्से के मकान में रहवास कर रहा है। अप्रार्थीगण के पति/पिता द्वारा वर्ष 1995 में पट्टे के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन किया था, तब उनके पिता जीवित थे तथा पट्टा जारी होने के पश्चात उसने उक्त भूखण्ड पर मकान का निर्माण कराया व रहवास कर रहे है, जो अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ से स्पष्ट है। प्रार्थी एवं मनोहरलाल के पिता श्री सुखलाल सैणचा का देहान्त दिनांक 04.07.2011 को हुआ, जो पट्टा जारी होने के 14 वर्ष पश्चात हुआ है, अगर प्रार्थी को या उनके पिता को उक्त भूखण्ड के पट्टे से या बंटवाड़े से कोई एतराज होता, तो उनके द्वारा उसी वक्त एतराज सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं प्रार्थी द्वारा पट्टा जारी होने के लगभग 22 वर्ष पश्चात पट्टे को निरस्त करवाने बाबत निगरानी पेश करने का भी कोई विधिक कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण के पति/पिता द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु आवेदन करने पर पंचायत द्वारा पत्रावली संख्या 18/1995–96 दर्ज कर, पंचो को नक्शा, नाप–चौक कर मौका रिपोर्ट तैयार करने बाबत आदेश दिए गए एवं आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया तथा उक्त इश्तिहार सहज दृश्य स्थान पर व आम बाजार में चस्पा किया गया, जो मिसल संलग्न नोटिस से स्पष्ट है। उक्त आपत्ति इश्तिहार जारी होने के एक माह की सीमा में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई, न ही पत्रावली पर ऐसी कोई आपत्ति प्राप्त होने बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है। दो स्वतंत्र गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जो मिसल संलग्न

अति. जिला कलेक्टर, पाली

है। इसके पश्चात अप्रार्थीगण के पति/पिता द्वारा नियमानुसार 30 पैसे प्रति वर्गफुट के हिसाब से पंचायत में 712.00 रूपये जमा करवाये गए। जिसकृे उपरान्त उनको पट्टा जारी किया गया है तथा जिस पर उनके द्वारा मकान का निर्माण करवाया गया है, जो फोटोग्राफ से स्पष्ट है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण के पति/पिता के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया है तथा पक्का मकान निर्माण करने के बाद एवं 22 वर्षो की लम्बी अवधि व्यतीत होने के पश्चात पट्टे को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत, पिपलिया कलां द्वारा मिसल संख्या 18/1995–96, प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 02.11.1996 तथा इसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 05 दिनांक 04.01.1997 जो अप्रार्थीगण के पति/पिता के हक में जारी किया गया को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड ग्राम पंचायत पिपलिया कलां को भिजवाई जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 16/01/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली